पत्र संख्या–वन भूमि–54/2019–   व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

17 OCT 2019

ह0 2769

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

4384
18/10/19

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–

विषयः– मौजा–श्रीरामपुर, थाना नं0–48 एवं मौजा–शिखरडीह, थाना नं0–71 में स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे0 (21.60 एकड़) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

CCF ED, WLDB

PF

17/10

17/10

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1109 दिनांक–12.09.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयगत परियोजना से संबंधित वन भूमि पूर्व में मेसर्स आयडा द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित 276.97 एकड़ (112.09 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का ही हिस्सा है । प्रस्ताव के साथ समर्पित Authenticated Land Schedule के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि विषयक परियोजना में सन्निहित भूमि में प्रस्तावित 21.60 एकड़ अधिसूचित वन भूमि के अलावा मौजा–शिखरडीह के प्लॉट सं0–65 में अवस्थित 0.36 एकड़ गैर मजरुआ (जंगल–साखु) भूमि भी सन्निहित है ।

वर्णित स्थिति में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख अपेक्षित है :–

(i) Authenticated Land Schedule के अनुरूप प्रस्तावित वन भूमि के रकबा में सुधार आवश्यक है ।

(ii) चूँकि प्रस्तावित वनभूमि पूर्व में AIADA द्वारा समर्पित 112.09 हे0 (276.97 एकड़) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित है तथा आयडा द्वारा विषयक प्रस्ताव हेतु NOC भी दी गई है। इस संबंध में आयडा से स्थिति स्पष्ट करायी जाय कि एक ही वन भूमि का दो अलग–अलग अपयोजन प्रस्ताव का क्या औचित्य है।

(iii) प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में उपायुक्त द्वारा FRA के तहत् निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।

(iv) CWLW का मंतव्य।

अनुरोध है कि उपर्युक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

18.10.19

विश्वासभाजन

ह0/–

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यालय प्रधान मु० व० सं० झारखण्ड
गै० स० प्र० सं० 2206
दिनांक 18.10.19

v.Van-Bhumi-2019-172

1

ज्ञापांक–वन भूमि–54 / 2019– 4019 व0प0, राँची दिनांक– 16/10/2019

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / उप महाप्रबंधक, जमशेदपुर, एल0पी0जी0 क्षेत्रीय कार्यालय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/10/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 1274 दिनांकः 23.10.19

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे राज्य सरकार राँची द्वारा पृच्छित बिन्दु सं0 i से iii का पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

ह0 / –

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 1274 दिनांकः 23.10.19

प्रतिलिपिः– :– उप महाप्रबंधक, जमशेदपुर एल0पी0जी0 क्षेत्रीय कार्यालय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे राज्य सरकार राँची द्वारा पृच्छित बिन्दु का पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उचित माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

23.10.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

21.10.19